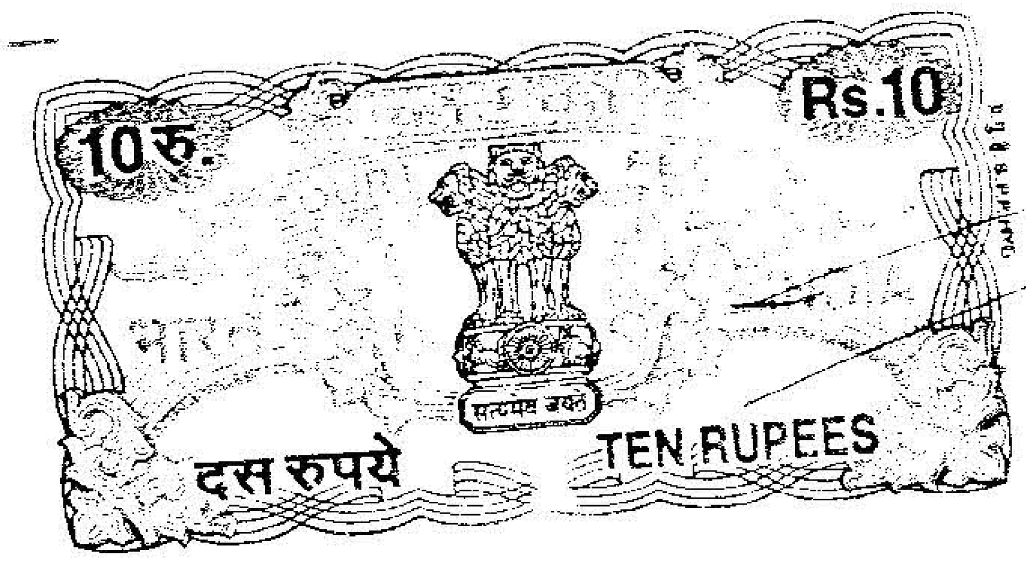

(8)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्र० आर० २०१२ / I /१२ जिला शाजापुर

सुरेशकुमार पिता चन्दरसिंह नि० खेमलाल
तह०कालापीपल जिला शाजापुर ---- प्रार्थी

विरुद्ध

म०प्र० शासन ---------- प्रतिप्रार्थी

माननीय महोदय,

प्रार्थी का निवेदन निम्नानुसार है :-

:१: यह कि प्रार्थी ने यह निगरानी श्रीमान अपर आयुक्त महो० उज्जैन संभाग उज्जैन के प्र०क्र० ६३/१०-११ निग० मे पारित आदेश दि० २६-२-१२ के विरुद्ध निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष रजिस्टर्ड डाक से भेजी थी जो माननीय न्यायालय को ७-६-१२ को प्राप्त हो गई थी

:२: यह कि प्रार्थी ग्राम खेमलाय तह०कालापीपल जिला शाजापुर संभाग उज्जैन का स्थायी निवासी है । इस कारण उपरोक्त निगरानी की सुनवाई माननीय न्यायालय के कैम्प उज्जैन पर की जाना न्याय हित मे आवश्यक है । प्रार्थी गरीब व्यक्ति है ग्वालियर मे पेशी नियत होती है तो उसे अत्यधिक खर्च वहन करना पड़ेगा । इसलिये न्याय हित मे उक्त निगरानी प्रकरण की सुनवाई उज्जैन कैम्प पर की जाना न्यायहित मे आवश्यक है । इस आवेदन के साथ अभिभाषक-पत्र पेश है ।

अत: आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि यह आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण की सुनवाई उज्जैन कैम्प पर की जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा कीजावे ।

प्रार्थी

इति दि० १७-६-१४

सुरेशकुमार

सुरेशकुमार पिता चन्दरसिंह निवासी
ग्राम खेमलाय तह०कालापीपल जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/9/14	आवेदक अधि. श्री एन. एस. सिसोदिया उप. उन्होंने इस प्रकरण को वापिस लेने का अनुरोध किया उनका अनुरोध स्वीकार किया जाता है एवं यह प्रकरण आवेदक को वापिस किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। प्रशा. सदस्य	निगरानी केस एवं आदेश की प्र. प्रतिलिपि प्राप्त 16-9-14

शाक्षेमुग्वा—768—फॉर्म्स—23-3-13—5,000.